



# व्यक्तिगत अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - राजगढ़  
जिला - राजगढ़, मध्यप्रदेश

(अन्य पिछड़े वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 3553/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र  
प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/442/0106/16621/2017

दिनांक : 09/07/2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामगोपाल पुत्र श्री राधेश्याम (पिता) एवं श्रीमती सीता बाई (माता) ग्राम कराडिया, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश कुम्हार(प्रजापति) जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक 38 निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पचवीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984.
2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-घौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
3. इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमार्ग किया गया है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामगोपाल श्रीमती (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक रामगोपाल के परिवार की कुल वार्षिक आय उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/सक्षम प्राधिकारी/नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रुपये 45000.00 हैं।

4. श्री रामगोपाल पुत्र श्री राधेश्याम सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम कराडिया, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : राजगढ़  
दिनांक : 09/07/2017  
आधार नंबर :  
समय नं. :



तहसील - राजगढ़

श्रीमति ममता खेडे

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository [www.mpdistrict.gov.in](http://mpdistrict.gov.in) से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना सौंदर्यिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्र. RS/442/0106/16621/2017 के द्वारा वेबसाइट <http://mpdistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।